# चित्रकूट पुलिस

**(1).** “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

**(2).** ▶ जनपद में साइबर अपराधों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु श्री अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद चित्रकूट द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल/साइबर थाना को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

▶ इसी क्रम में साइबर मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर मु0अ0सं0 23/26 धारा 67बी आईटी एक्ट में प्रारम्भिक जाँच/तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उक्त प्रकरण में 01 अभियुक्त के विरुद्ध थाना साइबर थाना, जनपद चित्रकूट में आईटी एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
विवेचना के सम्बन्ध में -

▶ विवेचना के क्रम में पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त से पूंछताछ की गई एवं संपूर्ण प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य,धन के लेन-देन से सम्बन्धित साक्ष्यों के बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त की गई तो प्रथम दृष्टया कोई पुख्ता साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। नामजद अभियुक्त द्वारा प्रकरण में प्रयुक्त किए गए मो0नं0 6393****72 का अपना होना स्वीकार किया तथा वर्ष 2018 से उक्त नंबर को स्वयं प्रयोग में लाना बताया, किन्तु अभियुक्त ने अपने मोबाइल व लैपटॉप से साक्ष्य को हटा दिया है जिसके कारण कोई साक्ष्य वर्तमान में उक्त डिवाइस में नही प्राप्त हुआ जिसको डेटा रिकवरी हेतु पुलिस कब्जे में लेकर विधिसम्मत तरीके से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

▶ क्यूआर कोड की जाँच में यूनियन बैंक के अकाउण्ट से लिंक होना पाया गया जो अभी निष्क्रिय है। विधिसम्मत कार्यवाही हेतु सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क किया जा रहा है।

▶ विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4).(1). उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह आरक्षी रविन्द्र कुमार ,आरक्षी लालू प्रसाद द्वारा अपराध संख्या 666/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र बिन्दा प्रसाद निवासी मालकाना डिलौरा चौकी सीतापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री मुन्नीलाल थाना मारकुण्डी मय हमराह आरक्षी आनन्द पाल द्वारा मु0सं0 539/24 धारा 363 आईपीसी व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र प्रजापति पुत्र रामदेव प्रजापति छोटी पाटिन मजरा इटवा डुडैला थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री हारुन रसीद थाना बहिलपुरवा मय हमराह आरक्षी मोनू राय द्वारा मु0सं0 19/18 धारा 504,506 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त विजय पुत्र जनार्दन ग्राम छोटी बिलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया थाना बहिलपुरवा मय हमराह आरक्षी आकाश यादव द्वारा मु0सं0 128/17 धारा 138 ( बी) आईपीसी के वारंटी अभियुक्त रामसूरत यादव पुत्र स्व0 रघुवीर यादव निवासी ग्राम पराठा पुरवा मजरा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). उ0नि0 श्री उ0नि जंग बहादुर सिंह थाना पहाडी मय हमराह हे0का0 ज्ञानस्वरूप मिश्रा, का0 आशीष सिंह का0 लव गुप्ता,का0 सन्तोष व का0 सत्येश कुमार द्वारा वारंटी अभियुक्त 1. गोली पुत्र हीरालाल सम्बन्धित मु0अ0सं0-

203/20, धारा 323/504/506 आईपीसी व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 2. धर्मराज पुत्र सूरज यादव सम्बन्धित मु0अ0सं0- 49/019, धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 3. राजेश पुत्र शिवमंगल सम्बन्धित मु0अ0सं0- 203/20, धारा 323/504/506 आईपीसी व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनांक 13.09.2026 को पुलिस अधीक्षक, जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस परिवार के सदस्यों के लाभ हेतु रिजर्व पुलिस लाइन चित्रकूट में वामा सारथी उत्तर प्रदेश (UP Police Family Welfare Association) के तत्वाधान में एक दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना एवं पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराना रहा।

शिविर में उपस्थित चिकित्सक / स्टाफ -

1. डॉ. मुकेश कुमार पांडे - होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा शिविर में आये लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क परामर्श व दवाइयां वितरित की गयी।

2. फार्मासिस्ट श्री बद्री प्रसाद द्वारा औषधि वितरण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गयी।

शिविर में मुख्य रूप से सर्दी-जुकाम, बुखार, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग, गैस-अपच, अनिद्रा, तनाव एवं मौसमी बीमारियों से संबंधित मरीजों काu परीक्षण किया गया। चिकित्सक द्वारा होम्योपैथी के माध्यम से रोगों के स्थायी समाधान एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने हेतु जागरूक भी किया गया।

इस अवसर पर पुलिस कर्मी 24 घंटे ड्यूटी के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे शिविरों से उन्हें काफी लाभ मिलता है। वामा सारथी की अध्यक्षा महोदया द्वारा भी पुलिस परिवार के कल्याण हेतु इस प्रकार के शिविर भविष्य में भी आयोजित कराये जाने हेतु आश्वासन दिया गया।

शिविर में प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस कार्यालय के कर्मचारीगण, महिला पुलिसकर्मी एवं पुलिस परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।